INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP00793356999027V

Signature...... संजय कुमार चौरसिया
ACC Name-Sanjay Kumar Chaurasia
ACC Code-UP14563104
ACC Add.-Collectorate, Azamgarh
Mobile No.-7309114184, L.No.
Tehsil & District-Sadar, Azamgarh

Certificate No.	:	IN-UP00793356999027V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 02:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14563104/ AZAMGARH SADAR/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1456310497167086829748V
Purchased by	:	LIFE LINE FOUNDATION LUCKNOW
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	LIFE LINE FOUNDATION LUCKNOW
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	LIFE LINE FOUNDATION LUCKNOW
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

GOVT. OF INDIA (U.P.) NOTARY

NOTARIAL NOTARIAL

हम डा0 पीयूष कुमार सिंह एवं आलोक कुमार सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव लाइफ लाइन फाउण्डेशन पता- 4/197 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारा ट्रस्ट द्वारा लाइफ लाइन एजुकेशनल इंस्टिट्यूट, समेंदा, आजमगढ़- 276128 (उ0 प्र0) नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र- 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारा ट्रस्ट के नाम समेंदा, आजमगढ़ में गाटा संख्या- 1998 मि0 एवं रकबा क्रमशः 1.027 हे0 भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या- 1998 मि0 कुल रकबा 1.027 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 09.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् से संबद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / संबद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संचालन ना तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मांगों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।

11. यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पाई जाती है तो परिषद के निरीक्षण एवं संबद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस है तो मेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाही नहीं की जाएगी।

12. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख दस्तावेज फर्जी कूट रचित अथवा त्रुटि पूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई की जा सकेगी ऐसी की गई विधि कार्यवाही हेतु में स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष